Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. DS/17/2018/MHRD2/DEOTH/RU-III **Date: 14.02.2019**

To,

1. **The Secretary,
Ministry of Ayush,
Ayush Bhawan, B Block,
GPO Complex, INA Colony,
New Delhi – 110023**

2. **The Director,
All India Institute of Ayurveda,
Gautam Puri, Sarita Vihar,
Mathura Road, New Delhi - 110076**

3. **The Principal/Director,
A & U Tibbia College & Hospital,
Ajmal Khan Road, Block – 56, Karol
Bagh, New Delhi – 110005**

4. **The Assistant Director (Medical),
University of Delhi,
Faculty of Ayurvedic & Unani Medicine,
6th Floor, V.P.C.I. Building, Delhi - 110007**

Sub: **Proceeding of sitting taken by Hon'ble Vice - Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 13.02.2019 at 03.00 p.m.** in the matter Dr. Devika Singh, E-32, Budh Nagar, Indrapuri, New Delhi – 110022 regarding Allotment of ST seat to SC Category in Delhi University Quota in AIAPGET-2018.

I am directed to enclose herewith Proceeding of Sitting held on 13.02.2019 at 03.00 P.M. on the above cited subject.

It is, requested that **action taken report** in the matter may please be sent to the Commission within **15 Days**.

Encl: As above.

Yours faithfully,

14/2/2019

(Dr. Lalit Latta)
Director

<u>Copy for information and necessary action to:</u>

1. Dr. Devika Singh,
E-32, Budh Nagar, Indrapuri,
New Delhi – 110022

2. PS to Hon'ble Vice Chairperson, NCST

3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(DS/17/2018/MHRD2/DEOTH/RU- III)

डॉ देविका सिंह, E-32, बुद्धनगर, इंद्रपुरी, नई दिल्ली - 110022 द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में AIAPGET- 2018 के तहत नमांकन में अनुसूचित जनजाति की सीट अनुसूचित जाति को आवंटित किए जाने के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उईके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13/2/2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 13/02/2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

(1.) डॉ देविका सिंह E-32, बुद्धनगर, इंद्रपुरी, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23/10/2018 को दिल्ली विश्वविद्यालय में AIAPGET- 18 के तहत नामांकन में अनुसूचित जनजाति की सीट को परिवर्तित कर अनुसूचित जाति को दिए जाने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया था।

(2.) इस मामले में आयोग द्वारा संज्ञान लेकर दिनांक 29/10/2018 को दिल्ली विश्वविद्यालय और आयुष मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया था।

(3.) मामले में संबंधित विभाग द्वारा आयोग को जवाब नहीं दिए जाने पर दिनांक 03/12/2018 को आयोग द्वारा स्मरण पत्र भेजा गया। इसके बाद दिनांक 01/02/2019 को मामले की सुनवाई के लिए सिटिंग निर्धारित की गई जिसे आयोग के आकस्मिक प्रवास के कारण स्थगित कर दिनांक 13/02/2019 को निर्धारित की गई थी।

(4.) बैठक में आयुष मंत्रालय की ओर से उप सचिव, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से डॉ सुजाता कदम, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से सहायक रजिस्ट्रार तथा ए एंड यू टिबिया कालेज एवं अस्पताल से विभागाध्यक्ष उपस्थित हुए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India

(5.) बैठक में आयोग ने अभ्यावेदक को पहले अपना पक्ष रखने को कहा। अभ्यावेदक डॉ देविका सिंह ने आयोग को बताया कि AIAPGET–18 के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में आयुष एमडी/एमएस सहित अन्य कोर्स में नामांकन के लिए अनुसूचित जनजाति कोटा के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 1 सीट और A&U Tibbia कॉलेज में 1 सीट आवंटित थी। जिसके लिए दिनांक 22/10/2018 को काउंसिलिंग रखी गई थी। जिसमें मुझे नामांकन के लिए बुलाया गया था। काउंसिलिंग के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 22 अक्तूबर के अलावा तीन अन्य तिथि निर्धारित की गई थी। आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए पर्सेंटाइल मानक के तहत नामांकन के लिए मेरी अहर्ता थी।

(6.) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मेरी काउंसिलिंग फीस जमा कराई गई किंतु अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित दोनों आरक्षित श्रेणी की सीटों को दिनांक 22/10/2018 को परिवर्तित कर दिया गया तथा अन्य उम्मीदवार का नामांकन किया गया। अनुसूचित जनजाति श्रेणी में मैं अकेली उम्मीदवार थी लेकिन विश्वविद्यालय के निर्णय के कारण योग्यता के बावजूद मुझे नामांकन से वंचित होना पड़ा।

(7.) मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित सहायक रजिस्ट्रार ने बताया कि दिनांक 22/10/2018 को पहली काउंसिंलिंग आयोजित की गई थी। जिसमें नामांकन के लिए योग्यता 50 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। जिसके अनुसार डॉ देविका सिंह नामांकन योग्य नहीं थीं। साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई अन्य विद्यार्थी नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय नियम के अनुसार दोनों सीट पर अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को नामांकन दिया गया।

(8.) डॉ देविका सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन की अंतिम तिथि 31/10/2018 तक निर्धारित की गई थी और दिनांक 26/10/2018 को आयुष मंत्रालय द्वारा योग्यता के पैमाना को प्रतिशत से बदलकर पर्सेंटाइल कर दिया गया और नामांकन की तिथि बढ़ाकर दिनांक 15/11/2018 तक कर दिया गया। इस नियम के तहत मैं नामांकन के लिए योग्य थी लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मुझे नामांकन नहीं दिया गया।

(9.) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से उपस्थित डॉ सुजाता कदम ने बताया कि AAIA की भूमिका सिर्फ परीक्षा आयोजित करने की है। नामांकन के लिए सीट का

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

निर्धारण करना व नामांकन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होती है। इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय की संयुक्त नामांकन कमेटी जवाबदेह है।

(10.) बैठक में आयुष मंत्रालय की ओर से उपस्थित उप सचिव ने बताया कि पूर्व में निर्धारित योग्यता के अनुसार सीट खाली रह गई थी। जिसे संज्ञान में लेकर मंत्रालय द्वारा योग्यता का पैमाना प्रतिशत से बदलकर पर्सेंटाइल कर दी गई। विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति की सीट अन्य वर्ग को आवंटित करने में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

(11.) दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित डॉ प्रदीप कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन प्रक्रिया बंद किए जाने के बाद आयुष मंत्रालय द्वारा योग्यता का पैमाना बदला गया। पहली काउंसिलिंग में अनुसूचित जनजाति वर्ग से कोई उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में दोनों सीट पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नामांकन दिया गया।

आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात पाया कि नामांकन की तिथि 22/10/2018 से लेकर 31/10/2018 तक थी। इस बीच दिनांक 26/10/2018 को आयुष मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत पर्सेंटाइल को अहर्ता मानक बनाया गया तथा नामांकन की अंतिम तिथि परिवर्तित कर 15/11/2018 तक रखी गई. इस आधार पर अभ्यावेदक नामांकन के पात्र थी. किन्तु दिल्ली विश्विद्यालय ने आश्चर्यजनक रूप से जल्दबाजी दिखाते हुए दिनांक 22/10/2018 को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट को अनुसूचित जाति में बदल दिया जो कि अनुचित है.

अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि तत्काल अनुसूचित जाति में बदले गए सीट को निरस्त करते हुए अभ्यावेदक डॉ देविका सिंह को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षित कोटे में नामांकन दिया जाय.

आयोग की अनुशंसा के अनुपालन की कार्यवाही रिपोर्ट से आयोग को 7 दिवस के अन्दर अवगत कराया जाय.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(DS/17/2018/MHRD2/DEOTH/RU- III)

डॉ देविका सिंह, E-32, बुद्धनगर, इंद्रपुरी, नई दिल्ली - 110022 द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में AIAPGET- 2018 के तहत नमांकन में अनुसूचित जनजाति की सीट अनुसूचित जाति को आवंटित किए जाने के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उईके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13/2/2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष
  (2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  (3.) श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  (4.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **आयुष मंत्रालय के अधिकारी**
  (1.) विजयलक्ष्मी भारद्वाज, उप सचिव
- **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के अधिकारी**
  (1.)डॉ सुजाता कदम
- **दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी**
  (1.) डॉ प्रदीप कुमार, सहायक रजिस्ट्रार
- **ए & यू टिबिया कॉलेज के अधिकारी**
  (1.) डॉ विवेक भूषण, विभागाध्यक्ष
- **अभ्यावेदनकर्ता**
  (1.) डॉ देविका सिंह